



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला

दिनांक 07.09.2025

थाना रमाला क्षेत्रान्तर्गत हुई कार लूट की घटना का 48 घंटे के अन्दर सफल अनावरण करते हुए रमाला पुलिस व स्वाट की संयुक्त टीम द्वारा माजरा रोड पर चैकिंग के दौरान हुई पुलिस मुठभेड़ में 01 अभियुक्त बाद पुलिस मुठभेड़ घायलावस्था में किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस .315 बोर तथा लूटी हुई कार व 1500 रुपये बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 05.09.2025 को वादी श्री अमित चोपडा पुत्र सतपाल निवासी न्यू कालोनी, पटेल नगर नजदीक रेलवे स्टेशन कुरुक्षेत्र, हरियाणा ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्तों द्वारा वादी की वैगनार कार नं0 HR06AZ1824 व गाडी में रखे 15000 रुपये व मोबाइल फोन छीन ले गये । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रमाला पर मु0अ0सं0 258/25 धारा 309(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/लुटेरों अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस व स्वाट की संयुक्त टीम द्वारा मु0अ0सं0 258/25 धारा 309(4) बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को बाद पुलिस मुठभेड़ (घायलावस्था में) गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस .315 बोर तथा लूटी हुई कार व 1500 रुपये बरामद हुए हैं।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सत्यवान उर्फ सतेन्द्र पुत्र अतर सिंह निवासी ग्राम नगला पारसी थाना दादों जनपद अलीगढ़।

बरामदगी का विवरण:-


- 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस .315 बोर।
- लूटी हुई कार व 1500 रुपये।

गिरफ्तार अभियुक्त सत्यवान उर्फ सतेन्द्र का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 51/23 धारा 323/504/506 थाना दादों जनपद अलीगढ़।
2. मु0अ0सं0 258/25 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस थाना रमाला जनपद बागपत।
3. मु0अ0सं0 261/25 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना रमाला जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री जितेन्द्र कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 2-स्वाट टीम प्रभारी निरीक्षक श्री तपेश्वर सागर जनपद बगापत ।
- 3-उ0नि0 श्री सतीश कुमार स्वाट टीम जनपद बागपत ।
- 4-उ0नि0 श्री श्याम सिंह थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 5-उ0नि0 मंयक प्रताप सिंह थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 6-उ0नि0 श्री सन्नी कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 7-उ0नि0 श्री प्रियान्शु थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 8-है0का0 60 पंकज कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 9-है0का0 164 विकास कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 10-है0का0 332 कमल किशोर थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 11-है0का0 370 इरशाद अहमद स्वाट टीम जनपद बागपत ।
- 12-है0का0 469 नरेन्द्र नागर स्वाट टीम जनपद बागपत ।
- 13-है0का0 586 लोकेश भाटी स्वाट टीम जनपद बागपत ।
- 14-है0का0 680 अमरजीत स्वाट टीम जनपद बागपत ।
- 15-है0का0 681 दीपक कुमार स्वाट टीम जनपद बागपत ।
- 16-का0 375 मोनू शर्मा स्वाट टीम जनपद बागपत ।
- 17-का0 403 नितिन त्यागी स्वाट टीम जनपद बागपत ।
- 18-का0 विशाल पूनिया स्वाट टीम जनपद बागपत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली दिनांक-07.09.2025

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 273/25 धारा 109(1) बीएनएस व धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 02 अवैध तमंचा मय 02 जिंदा व 02 खोखा कारतूस व एक मो0सा0 पेशन प्रो नं- HR 26 BW 0398 बरामद ।

संक्षिप्त विवरण/कार्यवाही -

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में थाना बिनौली पुलिस द्वारा अपराधों की रोकथाम एवं शांतिर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा माखर पुलिया पर चैकिंग की जा रही थी, जिसके दौरान 03 बाइक सवारों को इशारा करके रोकने का प्रयास किया गया लेकिन वह नहीं रुके और पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी गयी । आत्मरक्षार्थ हेतु थाना बिनौली पुलिस द्वारा की गयी जबावी कार्यवाही में बाद पुलिस मुठभेड़ दिनांक 06.09.2025 को एक अभियुक्त को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया । अन्य फरार 02 अभियुक्तों



की काँम्बिंग कर लगातार तलाश की जा रही थी। आज दिनांक 07.09.2025 को दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-शाकिब पुत्र पप्पू निवासी ग्राम बुढेडा थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 2-राशिद उर्फ भोला पुत्र साहबुद्दीन निवासी शोभापुर थाना कंकरखेडा जनपद मेरठ।

बरामदगी का विवरण

- 02 अवैध तमंचा मय 02 जिंदा व 02 खोखा कारतूस।
- एक मो0सा0 पैशन प्रो नं- HR 26 BW 0398।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

- 1-उ0नि0 श्री दुर्गेश कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 2-उ0नि0 श्री विकुल कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 3-है0का0 440 राशिद थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 4-है0का0 892 तेजवीर सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 5-का0 240 तरुण कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा

दिनांक 07.09.2025

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 298/25 धारा 64/123 बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 298/25 धारा 64/123 बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । इस सम्बन्ध में थाना खेकडा पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

कासिम पुत्र यासीन निवासी ग्राम बसी थाना खेकडा जनपद बागपत ।
हाल पता माया सिटी अशोक विहार थाना लोनी जनपद गाजियाबाद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्र0नि0 श्री प्रभाकर कैन्तुरा थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 816 शोकेन्द्र नागर थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 3-का0 164 नितिन कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना कोतवाली बागपत दिनांक 07.09.2025

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 531/2025 धारा
103(1)/3(5)/61(2) बीएनएस से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को किया
गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक

04.09.2025 को

थाना कोतवाली

बागपत पर मोनू पुत्र

श्री उदयवीर

निवासी ग्राम बाघू

थाना व जनपद



बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1. आनन्द पुत्र इन्द्रराज, 2. विनय उर्फ बिच्छू पुत्र श्योराज, 3. अनमोल पुत्र जयपाल निवासीगण ग्राम संतोषपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत द्वारा वादी के भाई अंकुर की मो0सा0 नं0 UP-17E-3555 में अपनी गाडी सैन्ट्रो नं0 DL-3CBP-1738 से टक्कर मार दी तथा उसके भाई अंकुर की गोली मारकर हत्या कर दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 531/25 धारा 103(1)/3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

उक्त अभियोग की विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तों
1- करण पुत्र रामजीलाल निवासी ग्राम भगौट थाना चाँदीनगर जनपद बागपत,
2- ताराचन्द पुत्र कन्हैया निवासी ग्राम संतोषपुर थाना कोतवाली बागपत
जनपद बागपत के नाम प्रकाश में आये हैं ।

नोट- मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त करण व ताराचन्द व अज्ञात के विरुद्ध धारा 61(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी है।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 531/2025 धारा 103(1)/3(5)/61(2) बीएनएस से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-करण पुत्र रामजीलाल निवासी ग्राम भगौट थाना चाँदीनगर जनपद बागपत।
- 2-ताराचन्द पुत्र कन्हैया निवासी ग्राम संतोषपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1-निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 2-उ0नि0 श्री मंजीत सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 3-उ0नि0 श्री वृक्षपाल सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 4-उ0नि0 श्री विकास कुमार चौहान थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 5-उ0नि0 श्री विपिन कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 6-उ0नि0 श्री शारिक अली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 7-म0उ0नि0 कामना शाक्य थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 8-म0उ0नि0 संध्या बघेल थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 9-है0का0 873 हरीश कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।